

२७/३/२३ फरवरी पेश हुई। वही एवं

वही वही अनुपस्थित। न्यायालय द्वारा वरि-
ष्ठा अकार विपे जाने के बावजूद वही द्वारा
न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करवाई।
अतः मूल नं० ०-१२-२/०-१२-५ में खरीजा
किया जाता है। फरवरी नम्बर से कम ही
माद घुंति दारिद्वल वफ्तर है। सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर
बहरोड़ (असबा) राब